सं.ई. 11014/12/2021-हिन्दी/विविध/ 58

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

केन्द्रीय जल आयोग

906(द), सेवा भवन, आर के पुरम,

नई दिल्ली - 110 066

दिनांक 20 फरवरी, 2023

परिपत्र

विषय: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा राजभाषा संगोष्ठी के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा दक्षिण दिल्ली-2, नराकास के सभी सदस्य कार्यालयों के लिए **दिनांक 23.03.2023 को 14.30 बजे** एक ऑनलाइन राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है।

उक्त संगोष्ठी हेतु विषय, नियम और शर्तों के लिए कृपया अनुलग्नक देखें तथा दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर अपने मौलिक लेख को हिन्दी अनुभाग के ई-मेल पता **hindisec-cwc@gov.in** पर **27.02.2023** तक अवश्य भिजवा दिया जाए।

संगोष्ठी संबंधी किसी अन्य जानकारी के लिए दूरभाष सं **011-2676-6802** पर संपर्क किया जा सकता है।

संलग्नक: यथोपरि

20/2/2023

(रजिन्दर पॉल)

उप निदेशक(रा.भा.)

<u>केंद्रीय जल आयोग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी</u>

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1- अध्यक्ष, के.ज.आ के प्रधान निजी सचिव,

2- सदस्य, के.ज.आ के प्रधान निजी सचिव,

3- सदस्य, नदी प्रबंध, के.ज.आ के प्रधान निजी सचिव

4- सदस्य अभिकल्प एवं अनुसंधान, के.ज.आ के प्रधान निजी सचिव,

5- मुख्य अभियंता,(मा.सं.प्र.) के प्रधान निजी सचिव

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय)
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
(Government of India, Ministry of Power)

YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

सं. 21/13/2022-हिन्दी, ई-4277 दिनांक: 16.02.2023

सेवा में,

अध्यक्ष
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति,
दक्षिण दिल्ली-2, नई दिल्ली

विषय: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन।

महोदय,

सूचित किया जाता है कि दिनांक 01.12.2022 को आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दक्षिण दिल्ली-2 की बैठक में तथा दिनांक 06.12.2022 को आयोजित ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में दक्षिण दिल्ली-2, नराकास के सभी सदस्य कार्यालयों के लिए दिनांक 23.03.2023 को 14.30 बजे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली की ओर से एक ऑनलाइन राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है।

उक्त संगोष्ठी हेतु विषय, नियम और शर्तों के लिए कृपया **अनुलग्नक 'क'** देखें।

अनुरोध है कि इस पत्र को सभी सदस्य कार्यालयों को परिचालित कराएं।

भवदीय,

का. शे.

संलग्नक यथोपरि:

(कामरान शेख)
संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि प्रेषित:

इस पत्र की प्रति नराकास, दक्षिण दिल्ली-2 के सभी सदस्य कार्यालयों को इस अनुरोध के साथ दी जाती है कि वे **अनुलग्नक-क** के अनुसार अपने कार्मिकों से आलेख प्राप्त कर (अधिकतम दो) इस कार्यालय में भिजवाने की व्यवस्था करें।

का. शे.

(कामरान शेख)
संयुक्त निदेशक

चौथा तल, सेवा भवन, आर० के० पुरम, नई दिल्ली–110 066, वेबसाईट / Website : www.beeindia.gov.in
4th Floor, Sewa Bhawan, R.K. Puram, New Delhi-110 066 टेली / Tel.: 91 (11) 26766700, फैक्स / Fax: 91 (11) 26178352

अनुलग्नक– क

विषय: नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दक्षिण दिल्ली-2 के सदस्य कार्यालयों के लिए ऑनलाइन राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन - 2022-23, नियम एवं शर्तें ।

1. यह संगोष्ठी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दक्षिण दिल्ली-2, के सभी सदस्य कार्यालयों के अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए है।
2. इस संगोष्ठी में ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए **'लाइफ मिशन'** से संबंधित निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर आलेख आमंत्रित किए जाते हैं :-
   (क) पर्यावरण की समस्या से निपटने में भारत का योगदान।
   (ख) जलवायु परिवर्तन के लिए भारत की रणनीति ।
   (ग) पर्यावरण संरक्षण हेतु लाइफ मिशन को सफल बनाने में युवाओं का योगदान।
   (घ) वृत्तीय अर्थव्यवस्था - पुन: उपयोग, कम करें और पुनर्चक्रण।
3. आलेख में कम से कम 1500 और अधिकतम 2000 शब्द होने चाहिए। आलेख के अंत में शब्द संख्या दर्शाई जानी चाहिए।
4. आलेख हिन्दी में और ए-4 आकार के कागज पर एक ओर टाइप किया हुआ, मौलिक और अप्रकाशित होना चाहिए तथा आलेख के अंत में लेखक द्वारा यह प्रमाणित किया जाए कि आलेख उसने स्वयं लिखा है और अन्यत्र प्रकाशित नहीं हुआ है। प्रतिभागी यूनिकोड में टंकित आलेख निम्नलिखित पते पर दिनांक 09 मार्च, 2023 तक भेज दें। इसके बाद प्राप्त आलेखों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और आलेख की सॉफ्ट प्रति ई-मेल sunita.yadav59@beeindia.gov.in पर भी भेजें। आलेख भेजने का पता:
   ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, चौथा तल,
   सेवा भवन, आर.के.पुरम-110066
5. आलेख पर कहीं भी अपना नाम, पता, कार्यालय का नाम, ई-मेल आईडी, मोबाइल नं. आदि न लिखें, अन्यथा प्रविष्टि स्वीकार नहीं की जाएगी। कृपया यह विवरण आवरण पृष्ठ पर दें।
6. प्रत्येक प्रतिभागी को अपना आलेख अपने कार्यालय के माध्यम से विधिवत प्रस्तुत करना होगा तथा एक कार्यालय से केवल दो ही प्रतिभागी भाग ले सकते हैं।
7. आलेखों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
8. दिनांक 23 मार्च, 2023 को ऑनलाइन संगोष्ठी में चयनित आलेखों को प्रस्तुत करने के लिए संबंधित लेखकों को आमंत्रित किया जाएगा। पीपीटी या अन्य पद्धति से आलेख प्रस्तुत किए जा सकते हैं। प्रत्येक प्रतिभागी को अपना आलेख प्रस्तुत करने के लिए अधिकतम 15 मिनट का समय दिया जाएगा।
9. पुरस्कार की राशि :-
   प्रथम पुरस्कार 5000/- रुपए, द्वितीय पुरस्कार 3000/- रुपए, तृतीय पुरस्कार 2000/- रुपए तथा एक-एक हजार रुपए के तीन प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाएंगे।
10. पुरस्कारों की घोषणा यथासमय की जाएगी और पुरस्कार राशि के साथ एक प्रशस्ति-पत्र / प्रमाण-पत्र नराकास के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
11. पुरस्कृत अथवा प्राप्त आलेखों को अपनी पुस्तक / पत्रिका में प्रकाशित करने को अधिकार ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पास सुरक्षित रहेगा।
12. संगोष्ठी संबंधी किसी अन्य जानकारी के लिए दूरभाष सं. 01126766802 पर संपर्क करें।

....